राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्र. एफ 20(35) ग्रावि/नरेगा/विविध./2010 जयपुर, दिनांकः– 23 NOV 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
समस्त राजस्थान।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत प्रीपेड मोबाईल सीयूजी प्लान–1100 के कम में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 20(35) ग्रावि/नरेगा/2010 एवं दिनांक 10.11.2010 द्वारा जिले में समस्त ग्राम सेवक एवं महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत सभी नियमित कर्मचारियों/अधिकारियों को मोबाईल फोन उपलब्ध करवाने के बारे में लिखा गया था। इस पत्र के साथ बी.एस.एन.एल. के प्लान की प्रति, नोकिया हैण्डसैट के प्रस्ताव की प्रति, एकल आवेदन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की प्रति, आवेदन पत्र की प्रति,जिले को आवंटित मोबाईल फोन नंबर की सीरीज की प्रति, बी.एस.एन.एल. के जिलों में स्थित नोडल अधिकारियों के नाम एवं टेलिफोन नंबर की सूची, मुख्य महाप्रबंधक बी.एस.एन.एल. को लिखे गये पत्र की प्रति एवं आपके जिले में जिन–जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाईल सिम एवं हैण्डसैट की सुविधा दी जानी है उनके पद नाम एवं कुल संख्या का विवरण संलग्न कर भिजवाया गया था।

अब बी.एस.एन.एल. को मोबाईल सिम कार्ड एवं हैण्डसैट की राशि ट्रांसफर की जा रही है। बी. एस.एन.एल. ने अवगत कराया है कि जिला कलेक्टर द्वारा जिले में उनके नोडल अधिकारी के यहां आवेदन पेश किया जायेगा। इस आवेदन के साथ जिन कर्मचारी/अधिकारियों को मोबाईल फोंन सुविधा उपलब्ध करवाई जानी है उनके नाम,पदनाम एवं पदस्थापन स्थान की सूची आवेदन के साथ संलग्न की जायेगी तथा इनकी आई.डी. जिला कलेक्टर या इनके प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जायेगी। जिला कलेक्टर द्वारा बी.एस.एन.एल. के नोडल अधिकारी के यहां आवेदन करने के चौबीस घंटे के भीतर बी. एस.एन.एल. का नोडल अधिकारी सिम कार्ड उपलब्ध करवायेगा। ये सिम कार्ड जिला कलेक्टर को उपलब्ध करवाने के तीन दिन के भीतर बी.एस.एन.एल. द्वारा ऐक्टिवेट किये जायेगे। अतः बी.एस.एन.एल. के यहां आवेदन करने से पूर्व जिला कलेक्टर द्वारा सभी कर्मचारियो/अधिकारियों की सूची तैयार की जायेगी। पूरे राज्य में एक साथ सिम कार्ड ऐक्टिवेट हो इसकी तैयारी पहले से ही की जानी आवश्यक है। अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि:–

1. इस कार्य के लिये जिले में आप तुरन्त एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें जो इस समस्त कार्यवाही को करवायेंगे। जहां तक संभव हो अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जावे।
2. जिन कर्मचारी/अधिकारियों को मोबाईल फोन की सुविधा दी जानी है उनकी सूची तत्काल तैयार करवावें जिसमें कर्मचारी/अधिकारी का नाम, पदनाम तथा पदस्थापन स्थान का विवरण शामिल हो। इस कार्यालय से बी.एस.एन.एल. को राशि जमा कराते ही आपको सूचित किया जायेगा। यहां से सूचना मिलते ही आपको बी.एस.एन.एल. के नोडल अधिकारी के यहां मोबाईल सिम प्राप्त करने के लिये तुरन्त आवेदन करना होगा। इस आवेदन के साथ कर्मचारी/अधिकारियों की उपरोक्त सूचना संलग्न कर भिजवाई जायेगी। बी.एस.एन. एल. के नोडल अधिकारी द्वारा आपको आवेदन करने के चौबीस घंटे के भीतर सिम उपलब्ध करवाये जायेंगे तथा इन सिमों को अगले तीन दिवस के भीतर ऐक्टिवेट किया जायेगा। इन सिम कार्डो को मोबाईल हैण्डसैट के साथ आपको तीन दिन में सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी को वितरण करना है। इसके लिये आप पहले से ही इस प्रकार की व्यवस्था करें कि मोबाईल हैण्डसैट एवं सिम कार्डो का वितरण तीन दिवस में हो जाये।

उचित होगा कि इनके वितरण की व्यवस्था पंचायत समिति स्तर पर करवाई जावे। इसके लिये भी पहले से ही कार्यक्रम बनाया जा सकता है।

3. मोबाईल हैण्डसैट एवं सिम कार्ड केवल उन्हीं कर्मचारियों/अधिकारियों को उपलब्ध करवाया जाना है जो कार्यरत हैं। अतः आप तीन दिवस में जरिये ई-मेल यह सूचना इस कार्यालय को भिजवावें कि जिला परिषद् में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक, परि0 अधिकारी (लेखा), अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं सहायक लेखाधिकारी के कुल कितने पद स्वीकृत है, कितने पद भरे हुये है तथा कितने पद रिक्त है। इसी प्रकार पंचायत समिति में विकास अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता के कितने पद स्वीकृत है, कितने पद भरे हुये है तथा कितने पद रिक्त है। ग्राम पंचायत में पदस्थापित ग्राम सेवकों के कुल कितने पद स्वीकृत है, कितने पद भरे हुये है तथा कितने पद रिक्त है। यह सूचना तत्काल ई-मेल से भिजवावें क्योंकि भरे हुये पदों की सूचना प्राप्त होने के बाद ही बी.एस.एन.एल. को मोबाईल सिम एवं हैण्डसैट की राशि जमा कराई जा सकेंगी। रिक्त पदों के लिये अभी मोबाईल सिम नहीं लेनें है।

4. नोकिया मोबाईल हैण्डसैट की डिलीवरी बी.एस.एन.एल. द्वारा यहां राज्य मुख्यालय पर दी जायेगी। बी.एस.एन.एल. ने अवगत कराया है कि इसकी राशि जमा कराने के सात दिवस के भीतर हैण्डसैट की डिलीवरी राज्य मुख्यालय पर दे दी जायेगी। बी.एस.एन.एल. से डिलीवरी प्राप्त होते ही तुरन्त आपको अवगत करा दिया जायेगा। आप आपके जिले को आवंटित नोकिया हैण्डसैट प्राप्त करने के लिये एक अधिकारी को मय वाहन तुरन्त इस कार्यालय में भिजवायेगें, ताकि उनको तत्काल नोकिया हैण्डसैट की डिलीवरी दी जा सकें। इसके लिये पहले से ही एक अधिकारी मय वाहन लगा दें।

5. मोबाईल सिम कार्ड एवं हैण्डसैट का वितरण एक साथ किया जायेगा। इसके लिये यहां से भी प्रयास किये जा रहे है कि पहले हैण्डसैट प्राप्त कर ही मोबाईल सिम की राशि बी.एस.एन.एल. को जमा करवाई जावे ताकि मोबाईल सिम के लिये आपके द्वारा आवेदन करने के साथ आपको जिलो में मोबाईल हैण्डसैट उपलब्ध हो सके।

23/11/10

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव,ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक,मा0मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचा.राज विभाग,राज.,जयपुर।
2. निजी सचिव,मा0 राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचा.राज विभाग,राज.जयपुर।
3. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव,ग्रामीण विकास एवं पंचा.राज विभाग,जयपुर।
4. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग राज. जयपुर।
5. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त,पंचायती राज विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव,शासन सचिव, वित्त(व्यय) विभाग,जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त,एवं शासन सचिव, ईजीएस।
9. मुख्य महाप्रबंधक, बी.एस.एन.एल., सरदार पटेल मार्ग, जयपुर।
10. समस्त अधिकारीगण, नरेगा।
11. समस्त अति0/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, परियोजना अधिकारी (लेखा)जिला परिषद्।
12. रक्षित पत्रावली।

23/11

अति.आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस